59

:: अधिसूचना ::

" उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड " द्वारा पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए " राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना "को लागू किये जाने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश संख्या 1796/36-2-2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रदान की गयी हैं। इसके कम में एतद् द्वारा निर्माण कामगारों के लिए " राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना " निम्न प्रतिबन्धों के साथ अधिसूचित की जाती है :-

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजनान्तर्गत प्रीमियम की धनराशि /सृजित होने वाले अन्य देयताओं का वित्त पोषण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो पर लगने वाले सेस व अन्य श्रोतों से होने वाली आय से नियमानुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन का कोई दायित्व नहीं होगा और न ही शासन द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता वर्तमान व भविष्य में दी जायेगी।

2- योजना भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार लागू की जायेगी।

23/12/11

(आई0पी0 पाण्डेय)
अपर श्रमायुक्त/अपर सचिव, बोर्ड।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्रांक 9544-9781/भ0नि0बोर्ड(241)-11, दिनांक 23 /12/2011

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5- अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6- गार्ड फाइल हेतु।
7- श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या 1796/36-2-2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के कम में सूचनार्थ।

संलग्नक: यथोक्त।

(आई0पी0 पाण्डेय)
अपर श्रमायुक्त/अपर सचिव, बोर्ड।